


09.09.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी वकील उपस्थित।  
वादी वकील द्वारा फर्द अहकाम पर नोट लगाया की  
पत्रावली मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहते। दावा  
विद्वा फरमाया जावे। वादपत्र वर्तमान स्तर पर खारिज  
(विद्वा किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की  
जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।



सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

